न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या –5/2014 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2014/00118

नरवर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नूरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा –राजस्थान

––प्रार्थी.

बनाम

1. पांची बाई पत्नि नजीम खान जाति मेरासी निवासी ग्राम नूरपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा– राजस्थान
2. राजस्थन सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

––अप्रार्थी.

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज०)

प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटन निरस्त किये जाने बाबत आवंटन दिनांक 25.11.2010 भूमि आवंटन सलाहकार समिति रामगंजमण्डी नियम 14 (4) भू आवंटन अधिनियम

उपस्थित–

1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक अप्रार्थी नं0 2

निर्णय

दिनांक – 20/07/2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम नूरपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नं0 42 की 0.80 हे0 भूमि दिनांक 25.11.2010 आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पांची बाई पत्नि नजीम खान जाति मेरासी निवासी ग्राम नूरपुरा को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की जाने पर उक्त आवंटन के विरूद्व प्रार्थी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्तीकरण हेतु आवेदन पेश किया है ।
2. प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्व दिनांक 25.02.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम अप्रार्थी कम 1 द्वारा काश्त करने के लिये दिनांक 25.11.2010 को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष खसरा नम्बर 42 रकबा 0.80 हे0 भूमि आवंटन करने हेतु आवेदन किया, जिस पर आवंटन कमेटी द्वारा प्रार्थी को भूमिहीन मानते

जिला कलेक्टर
कोटा

हुए दिनांक 25.11.2010 को आवंटन की जाकर गैर खातेदारी अधिकार दर्ज करने के आदेश दिये गये । भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी क्रम–01 को किया गया आवंटन विधि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है क्योंकि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटन करने से पूर्व किसी भी प्रकार की उदघोषणा नहीं की गई और न ही उदघोषण की प्रति किसी बोर्ड पर चस्पा की गई है । आवंटन पश्चात आवंटी को कोई दस्तावेज नहीं सम्भलाया गया और न ही उक्त आवंटन की प्रकिया मौके पर की गई जबकि विधि के अनुसार समस्त आवंटन प्रकिया मौके पर ही कर आवंटी को दखल नामा दिया जाना चाहिए था और सारी प्रकिया मौके पर ही करना चाहिए थी । अप्रार्थी क्रम 1 की मिली भगत कर कपट पूर्वक मिथ्यारूप से आवंटन किया गया है क्योंकि अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटित की गई भूमि का केवल मात्र कागजों में दखल दिया गया है । दखलनामे पर अप्रार्थीया पांची बाई के हस्ताक्षर भी नहीं है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति इस्माईल के हस्ताक्षर जो जो आवंटी नहीं है । इससे जाहिर होता है कि मात्र कागजो में ही दखल दिया गया है मौके पर दखल नहीं दिया गया है और ना ही मौके पर अप्रार्थीया का कब्जा है । आवंटित की गई आराजी के पास प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर शांति पूर्वक खेती कर रहा है । अप्रार्थीया को आवंटित करने से प्रार्थी के कृषि भूमि पर अप्रार्थीया द्वारा अशांति उत्पन्न की जा रही है । अतः अप्रार्थीया क्रम 1 के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 25.11.2010 निरस्त फरमाया जावें ।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय से आवंटन पत्रावली तलब की गई । वकील प्रार्थी एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित । अप्रार्थीया क्रम 1 की ओर से श्री धारा सिंह एडवोकेट का वकालतनामा पेश हुआ किन्तु दौराने बहस वकील अप्राथीया क्म्र–1 एवं स्वयं अप्रार्थीया बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी क्रम–1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वकील प्रार्थी एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई ।
4. वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम नूरपुरा में दिनांक 25.11.2010 को खसरा नम्बर 42 रकबा 0.80 हे0 भूमि अप्रार्थीया नं0 1 को आवंटन की गई थी जिसका अप्रार्थीया क्रम–1 को न तो कब्जा दिया गया है ओर ना ही मौके पर अप्रार्थीया का कब्जा है । दखलनामे पर भी आवंटी अप्रार्थीया के हस्ताक्षर नहीं है बल्कि अन्य व्यक्ति ईस्माईल के हस्ताक्षर है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया क्रम 1 को किया गया आवंटन अवैध एवं कपट पूर्व किया जाने से निरस्त योग्य है ।
5. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त आवटित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार रामगंजमण्डी से मौके की रिपोर्ट ली जावें । भूमि की किस्म बंजड होने से किये गये आवंटन में कोई दोष नहीं है ।
6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वकील प्रार्थी के कथनानुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होना और मौके पर कब्जा भी नहीं संभलाया जाना तथा आवंटन शर्तो की पालना भी नहीं की जाना बताया है । राजकीय अभिभाषक के तर्क अनुसार भूमि की किस्म बंजड होने से किये गये आवंटन में कोई दोष तो नहीं है किन्तु आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की जा रही है या नहीं इस बाबत मौके की रिपोर्ट ली जाना आवश्यक है । ऐसी स्थिति में आवंटित भूमि की मौका स्थिति अनुसार ही निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

7. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिकरूप से स्वीकार किया जाकर किये गये आवंटन को यथावत रखते हुए प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम नूरपुरा में अप्रार्थी कम–1 के हक में किये गये आवंटन खसरा नम्बर 42 रकबा 0.80 हे0 की जांच करें कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीया पांची बाई का कब्जा है या नहीं ? उक्त आवंटित भूमि वर्तमान में किसके कब्जे मैं है तथा भूमि किस उपयोग में आ रही है ? अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की जा रही है अथवा नहीं ? उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में आवंटित भूमि की जांच करने पर यदि अप्रार्थीया द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है अथवा किये गये आवंटन में कोई खामी है तो पृथक से सरकार की ओर से उक्त आवंटन के निरस्तीकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
8. निर्णय आज दिनांक 20.7.2021 को खुले मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा